न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

विविध अपील संख्या 52/2019

अपीलांट – सुखराम पुत्र सुरजन जाति बिश्नोई निवासी सनावड़ा कला (भीमथल) तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट –

1. बीरबलराम पुत्र सुखराम
2. मोहनलाल पुत्र सुखराम
3. सुनिल पुत्र सुखराम
   निवासी सनावड़ा कला (भीमथल) तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
4. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोरीमन्ना

विविध अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 विरूद्ध आदेश उपखण्ड मजिस्ट्रेट धोरीमन्ना बमुकदमा 01/2016 दिनांक 05.02.2019

उपस्थिति :–

1. श्री भजनलाल गोदारा, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री माधोसिंह चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1से3 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 4 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 15.06.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलांट असहाय वरिष्ठ नागरिक सुखराम द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैं 72 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति हूँ, मेरे तीन पुत्र जिसमें सबसे बड़ा बीरबल उम्र 40 वर्ष, उससे छोटा मोहन उम्र 35 वर्ष तथा सबसे छोटा सुनील है। मेरे पुत्रों ने मुझे 20 वर्ष पूर्व मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया तथा मेरे नाम की सम्पूर्ण खातेदारी भूमि धोखे से तीनों ने अपने नाम करवा ली है। मैं आज भी मजदूरी कर अपना भरण–पोषण करता हूँ। दिनांक 24.02.2016 को मैं मेरे घर सनावड़ा कल्ला गया तो मेरे पुत्र ... ने मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया तथा मेरा राशन कार्ड व पेंशन डायरी भी छीन ली। अब

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:29:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर

बीमार रहता हूँ, मुझे हर माह 10,000 रूपये, एक कच्ची–पक्की झोपड़ी तथा राशनकार्ड व पेंशन डायरी दिलाने का आदेश दिलावें। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र उपखण्ड मजिस्ट्रेट धोरीमना द्वारा दर्ज कर रेस्पोडेंट्स को जवाब हेतु नोटिस जारी किये गये। पक्षकारान की सुनवाई उपरांत अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2019 के द्वारा अपीलांट का प्रार्थना–पत्र इस आधार पर खारिज किया कि प्रार्थी सुखराम को माननीय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर के आदेश दिनांक 29.05.2017 द्वारा अप्रार्थीगण बीरबल, सुनील व मोहन प्रत्येक 500–500 रूपये प्रतिमाह की दर से भरण–पोषण के रूप में राशि अदा करने हेतु पांबद किया गया है। अतः प्रार्थी माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 12 के अनुसार प्रार्थी दोहरा लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। इस आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 16 माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 के तहत इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.11.2019 को प्रस्तुत की गई है साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गए है।

2. अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पोडेंट जरिये नोटिस तलब किये एवं अपीलाधीन आदेश से संबंधित पत्रावली मंगवाई जाकर अवलोकन किया।

3. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट धोरीमना द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2019 को पारित करने में कानूनी एवं तथ्यों की भारी भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश में अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर के जिस आदेश दिनांक 29.05.2017 का उल्लेख किया गया है वह प्रकरण अपीलांट की अदम हाजरी में अदम पैरवी खारिज हो चुका था, जिससे उक्त प्रकरण में अंतरीम भरण–पोषण का आदेश स्वतः खारिज हो गया था। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की सुनवाई दिनांक 05.02.2019

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:29:59 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

को उक्त प्रकरण के अलावा अन्य किसी भी न्यायालय में भरण–पोषण का कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में तथ्यों एवं विधि की गलत व्याख्या करते हुए अपीलांट के प्रार्थना–पत्र को खारिज किया गया है। इस आधार पर अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

4. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलांट अनपढ़, बुजुर्ग एवं असहाय होने से अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर के न्यायालय में पैरवी नहीं कर सका तथा उक्त न्यायालय का प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हुआ है। अपीलांट अनपढ़ ग्रामीण होने व्यक्ति होने से उसे विधि एवं विधिक तथ्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अपीलांट हर बार अपने भरण–पोषण की राशि का इंतजार करता रहा पंरतु उसे राशि नहीं मिलने पर दिनांक 25.09.2019 को अपने पुत्रों से कोर्ट के आदेश की पालना में रूपये मांगे तो रेस्पोडेट्स ने देने से यह कहते हुए मना कर दिया कि हमनें आपका भरण–पोषण का आवेदन खारिज करवा दिया है। इस पर अपीलांट ने अधिवक्ता से संपर्क किया, जिनके मार्फत दिनांक 26.09.2019 को अपीलाधीन आदेश की नकल मांगी तथा उसी दिन तैयार होकर प्राप्त होने पर सर्वप्रथम अपीलांट को ज्ञान हुआ कि अपीलांट का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 05.02.2019 को खारिज कर दिया है। इस पर अपीलांट द्वारा जानकारी होने की तिथि से यह अपील अन्दर मयाद पेश की है। अपील पेश करने में हुए सदभाविक विलम्ब को माफ करने हेतु प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र पेश किये गए है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाया जावें तथा अपीलांट को 10,000 रूपये मासिक भरण–पोषण रेस्पोडेंट्स संख्या 01 से 03 से दिलाने का आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:29:59 IST
Reason: SelfAttested

5. रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता ने जवाब में निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा किसी के बहकावे में आकर रेस्पोडेंट्स को परेशान करने एवं

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)
जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर

बदनाम करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय के समक्ष परिवाद/अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट स्वयं द्वारा दिनांक 06.10.1986 को हमारी पैतृक भूमि खसरा नं. 08 का बेचान रतनाराम पुत्र कानाराम विश्नोई को किया गया जिसके प्रतिफल की राशि स्वयं अपीलांट के पास रही। इसके पश्चात् दिनांक 06.10.1986 को ही उक्त खसरा नं. 18 की सम्पूर्ण भूमि का बेचान हरीराम पुत्र कानाराम विश्नोई को कर दिया तथा प्रतिफल राशि अपीलांट के पास रही। इसी प्रकार अपीलांट द्वारा दिनांक 21.01.2011 को श्रीमती नेनू देवी के खसरा नं. 18/6 व 18/5 की भूमि का भी बेचान किया था जिसके प्रतिफल की राशि भी अपीलांट के पास रही। अपीलांट को रेस्पोडेंट द्वारा कभी बेघर नहीं किया अपितु अपीलांट ने रेस्पोडेंट को बेघर करने की नियत से उक्त पैतृक भूमि का बेचान किया है। अपीलांट द्वारा उक्त बेचानों से प्राप्त प्रतिफल की राशि सेठ सहूकारों को ब्याज पर दी गई है तथा प्रतिमाह ब्याज की राशि प्राप्त होती है, जिससे उनका भरण-पोषण हो रहा है। अपीलांट द्वारा पैतृक खातेदारी भूमि का स्वयं की इच्छा से बेचान किया गया है इसलिये अपीलांट के नाम कोई भूमि शेष नहीं है। रेस्पोडेंट्स ने पैतृक खातेदारी भूमि सहायक कलक्टर (एसडीओ) गुड़ामालानी के न्यायालय में वाद संख्या 08/1996 के द्वारा प्राप्त की है। अपीलांट द्वारा आरम्भ से रेस्पोडेंट्स एवं उनकी माता का कभी भरण-पोषण नहीं किया गया एवं न ही रेस्पोडेंट्स को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान की गई। अपीलांट व अन्य द्वारा रेस्पोडेंट की माता को घर से मारपीट कर बाहर निकाल दिया था जिसका फौजदारी मुकदमा संख्या 902/1989 में न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर के न्यायालय में विचारण होकर अपीलांट व अन्य को दोषसिद्ध घोषित किया गया। इस प्रकार रेस्पोडेंट्स एवं उनकी माता को घर से बेघर करने के बाद [illegible] का पालन-पोषण उनकी माता के द्वारा ही खेती-मजदूरी कर किया [illegible] अपीलांट स्वयं ही अपनी संपति का विक्रय कर भूमिहीन हुआ है तथा उसनें अपने परिवार के पालन-पोषण की जिम्मेदारी निर्वहन नहीं करने से वह रेस्पोडेट्स से किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:29:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर

भी प्रकार का भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावें।

6. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की ओर से प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों को अद्योपान्त अध्ययन किया जिससे पाया जाता है कि अपीलांट असहाय वरिष्ठ नागरिक सुखराम द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मैं 72 वर्ष का बुजुर्ग व्यक्ति हूँ, मेरे तीन पुत्र जिसमें सबसे बड़ा बीरबल उम्र 40 वर्ष, उससे छोटा मोहन उम्र 35 वर्ष तथा सबसे छोटा सुनील है। मेरे पुत्रों ने मुझे 20 वर्ष पूर्व मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया तथा मेरे नाम की सम्पूर्ण खातेदारी भूमि धोखे से तीनों ने अपने नाम करवा ली है। मैं आज की मजदूरी कर अपना भरण–पोषण करता रहा हूँ। दिनांक 24.02.2016 को मैं मेरे घर सनावड़ा कल्ला गया तो मेरे पुत्र बीरबल ने मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया तथा मेरा राशन कार्ड व पेंशन डायरी भी छीन ली। मैं अब बीमार रहता हूँ, मुझे हर माह 10,000 रूपये, एक कच्ची–पक्की झोपड़ी तथा राशनकार्ड व पेंशन डायरी दिलाने का आदेश दिलावें। अपीलांट के उक्त कथनों के जवाब में रेस्पोडेंट्स द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के साथ अभिकथन किया हैं कि अपीलांट स्वयं द्वारा दिनांक 06.10.1986 को हमारी पैतृक भूमि खसरा नं. 08 का बेचान रतनाराम पुत्र कानाराम विश्नोई को किया गया जिसके प्रतिफल की राशि स्वयं अपीलांट के पास रही। इसके पश्चात् दिनांक 06.10.1986 को ही उक्त खसरा नं. 18 की सम्पूर्ण भूमि का बेचान हरीराम पुत्र कानाराम विश्नोई को कर दिया तथा प्रतिफल राशि अपीलांट के पास रही। इसी प्रकार अपीलांट द्वारा दिनांक 21.01.2011 को श्रीमती नेनू देवी के खसरा नं. 18/6 व 18/5 की भूमि का भी बेचान किया जिसके प्रतिफल की राशि भी अपीलांट के पास रही। अपीलांट को रेस्पोडेंट्स द्वारा कभी बेघर नहीं किया अपितु अपीलांट ने रेस्पोडेंट को बेघर करने की नियत से उक्त पैतृक भूमि का बेचान किया है। अपीलांट द्वारा उक्त बेचानों से प्राप्त प्रतिफल की राशि

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:29:59 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट, बाडमेर

सेठ सहूकारों को ब्याज पर दी गई है तथा प्रतिमाह ब्याज की राशि प्राप्त होती है, जिससे उनका भरण–पोषण हो रहा है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं कि उसकी भूमि रेस्पोडेंट द्वारा धोखे से अपने नाम करवा ली हैं जबकि उसने स्वंय ही तीन बार पंजिकृत बेचान–पत्रों द्वारा विक्रय की हैं। इसके अलावा रेस्पोडेंट के अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रकट किया हैं कि अपीलांट ने ही रेस्पोडेंट व उनकी माता के साथ मारपीट कर घर से निकाला हैं तथा इसके प्रमाणस्वरूप न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर के द्वारा फौजदारी प्रकरण में पारित निर्णय की प्रति प्रस्तुत की हैं। इस प्रकार अपीलांट द्वारा ही अपनी पारिवारिक सम्पत्ति का तीन बार विक्रय कर भूमिहीन हुआ हैं तथा रेस्पोडेंट्स के पालन–पोषण एवं संरक्षण के अपने दायित्व से विमुख रहा हैं ऐसे में वह अब रेस्पोडेंट्स से किसी प्रकार के भरण–पोषण प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो सकता हैं। इस आधार पर अपीलांट की यह अपील गलत तथ्यों के द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए प्रस्तुत की गई हैं जो स्वीकार योग्य नहीं हैं।

7. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के परिणामस्वरूप अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 15.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर (राज.)

(लोक बंधु)
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.07.04 16:29:59 IST
Reason: SelfAttested